

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र,
7वीं नंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380019

दूरभाष: (079) 26303612 ई-मेल: ccuahmedabad@gmail.com फ़ैक्स: (079) 26390607

स्थापना आदेश सं. - 52/2014

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2014

विषय : निरीक्षण की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती- 2014 के बारे में ।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन संवर्ग पुनर्संरचना (Cadre Restructuring) एवं क्षेत्र इकाइयों के पुनर्गठन (re-organization of field formations) के तहत संशोधित संवर्ग संख्या (revised cadre strength) से संबंधित बोर्ड के पत्र फा.सं. A.11019/08/2013-Ad.IV, दिनांक: 01.03.2014 एवं मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, वडोदरा क्षेत्र से प्राप्त अर्द्ध सरकारी पत्र (D.O. letter) फा.संख्या II/03-29/CCO/2014 दिनांक: 01.10.2014 के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र के निम्नलिखित निरीक्षकों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट क्षेत्र (sector) में आगामी आदेश तक तुरंत प्रभाव से स्थानांतरित एवं तैनात किया जाता है:

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम: सर्व श्री	जन्म दिनांक	रैंक संख्या	कहाँ से
1	सिद्धार्थ चंद्र भूपेश	21.08.1987	SL/I/3402	के.उ.शु., अहमदाबाद-III
2	राजेश कुमार कालिया	08.09.1980	SL/I/3379	के.उ.शु., अहमदाबाद-II
3	रामजी लाल नीना	01.08.1988	SL/I/3296	के.उ.शु., अहमदाबाद-II
4	परमार प्रकाश कुमार	03.03.1980	SL/I/2677	के.उ.शु., अहमदाबाद-I
5	सरजीत सिंह भडाना	11.02.1987	SL/I/2528	के.उ.शु., अहमदाबाद-III
6	अरुण कुमार	15.06.1987	SL/I/2424	के.उ.शु., अहमदाबाद-III
7	ननीष कुमार	07.07.1983	SL/I/2412	सेवा कर, अहमदाबाद
8	विवेक सिंह	01.05.1985	SL/I/2400	के.उ.शु., अहमदाबाद-III
9	हरेंद्र मूंड	21.03.1988	SL/I/2383	सेवा कर, अहमदाबाद

02. राजकोट क्षेत्र में तैनात निरीक्षकों की विस्तृत तैनाती राजकोट क्षेत्र के आयुक्तों की सन्निधि द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी और तदनुसार आगामी आदेश आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट द्वारा जारी की जायेगी।

03. राजकोट क्षेत्र एवं अहमदाबाद क्षेत्र के मुख्य अमानतदार/ निरीक्षण अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह सभी अभियेदनों का निष्पत्ति कर लिया गया है।

04. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट क्षेत्र में विपद सभी अधिकारियों को 15.10.2014 के अनुरोध में तदनुसृत समझा जायेगा यदि उनके निरीक्षणकर्ता अधिकारी उन्हें इससे पहले कार्यमुक्त नहीं करते हैं।

05. आयुक्तों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कार्यमुक्त होने वाले अधिकारियों से सभी अनुमानों/उत्पन्न प्रमाणों के अधिकारों को वापस देने संबंधी उचित नोट सौंप दी है।

06. आगामी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र, अहमदाबाद के अनुरोध से जारी किया गया है।



(डॉ. नवीन कुमार खन्ना)
अवर आयुक्त (मुख्य आयुक्त)

फा.सं. II/03-29/CCO/2014-Part-I

दिनांक: 14.10.2014

